

०५-१०-२०२०

अभिलेख उपस्थापित। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। बंदोबस्तदार के बंशज के द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित कागजात इस कार्यालय में जमा किया गया है। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से उक्त बंदोबस्त भूमि का अद्यतन प्रतिवेदन की मांग करें।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

०५-१०-२०२०
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

१५-१०-२०२०

अभिलेख उपस्थापित। संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त। प्रतिवेदनानुसार मौजा सिकटिया थाना सं०-३१२ के गैरमजरुआ खाता सं०-२० के अंदर दाग सं०-२८० कुल खतियानी रकवा ०४-१५-०३ धूर किस्म परतीकदीम के रूप में गत सर्वे खतियान में अंकित है। इसी मौजा के पंजी २ अवलोकन से पाया कि उक्त खेसरा सं० २८० के अंदर अंश रकवा ००-१५-०० धूर अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती केश सं० १६३/७३-७४ से चन्द्र दुदू पिता मीजा दुदू के नाम से खाता सं० २०/६ में दर्ज है। जांच के क्रम में बंदोबस्तदार के बंशज द्वारा उक्त बंदोबस्ती से संबंधित कागजात प्रस्तुत किया, जो इस पत्र के साथ संलग्न है। कागजात के अवलोकन से पाया कि बन्दोबस्तदार को इसी मौजा में खेसरा सं० ३६८ किस्म परतीकदीम के अंश रकवा ००-१५-०० धूर भूमि उक्त बंदोबस्ती वाद से प्राप्त हुआ है। साथ ही स्थलीय जांच में पाया कि उक्त बंदोबस्त भूमि पर ही बंदोबस्तदार के बंशज द्वारा जोत-कोड़ कर खेती किया जा रहा है। फोटो प्रति संलग्न। भूल वश पंजी २ में गलत खेसरा सं० की प्रविष्टि हो गई है, जिसे पंजी २ सुधार कर बंदोबस्त भूमि का सही खेसरा सं० दर्ज करते हुए सरकार के पत्र के आलोक नियमित करने की अनुशंसा की गई है।

अतः संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदनानुसार संधारित अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक ६१४४/रा० दिनांक २१.१२.२०१७ तथा पत्रांक ०६/भूमि का नियमितीकरण, ८९/२०२०-१७०४/रा० दिनांक १५.०७.२०२० के आलोक में संचित कर बैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर नियमित किया जाता है।

अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है।

लेखापित

अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।

०५-१०-२०२०
अंचल अधिकारी,
गोड्डा सदर।